① परिशिष्ट – 'अ'
[20/3/2025]

म.प्र. शासन

क्रमांक [क्र. 2073]

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/9021/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2015 भोपाल, दिनांक 23/09/2015

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
  महात्मा गांधी नरेगा
  जिला – समस्त (म.प्र.)

विषय: महात्मा गांधी नरेगा के लेबर कनवरजेन्स से अभिसरण के कार्यो की स्वीकृतियां जारी करने एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु पायलेट करने की अनुमति बावत्।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत श्रम एवं सामग्री के अभिसरण से संपादित होने वाले कार्यो में घरेलू शौचालय निर्माण एवं आंतरिक सी.सी. रोड के कार्यो को छोडकर सभी अभिसरण के कार्यो की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर से जारी किये जाने के विभाग के निर्देश है, जो यथावत लागू है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 के संधारण की स्थिति नहीं होने से महात्मा गांधी नरेगा से यथा संभव केवल अकुशल मजदूरी (Pure unskilled labour) भुगतान में अभिसरण को प्रोत्साहित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

Pure Labour Convergence के कार्यो की स्वीकृतियां जारी करने में समय व श्रम की बचत हो, इस हेतु यह भी निर्णय लिया गया है कि अभिसरण से संपादित होने वाले कार्य, जिनमें अकुशल श्रम की शत–प्रतिशत राशि महात्मा गांधी नरेगा मद से तथा सामग्री मद (अर्द्धकुशल/कुशल एवं सामग्री) के लिये आवश्यक अतिरिक्त राशि किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के तहत व्यय की जाना है, की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशः *सहायक यंत्री, (महात्मा गांधी नरेगा/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) एवं ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की सीमा में निम्न शर्तो की पूर्ति होने पर नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी* :

1. प्रस्तावित कार्य मनरेगा अंतर्गत अनुमत कार्यो की श्रेणी में हो एवं ग्राम पंचायत के शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल हो।
2. संबंधित योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदित हुआ हो।
3. संबंधित योजना/कार्यक्रम के तहत अभिसरण हेतु राशि की उपलब्धता एवं भुगतान की प्रक्रिया व सीमा का उल्लेख हो। उदाहरणस्वरूप जहां घरेलू शौचालय हेतु महात्मा गांधी नरेगा से अकुशल श्रम हेतु 20 मानव दिवस की सीमा तक व SBM से सामग्री मिलाकर निर्धारित कुल राशि (वर्तमान में 12000/–) तक ही व्यय किया जा सकता है वहां इन्दिरा आवास योजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा से प्रावधानित (वर्तमान में 90/95 मानव दिवस) सीमा तक भुगतान किया जा सकेगा।

Manjusha Letter Central Nov 15

बी. एस. जाटव
संयुक्त आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner

4. उक्त कार्यों की स्वीकृतियां विहित प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार [illegible]
की जा सकेगी।

5. केवल अकुशल मजदूरी के अभिसरण से संपादित होने वाले कार्यों में मस्टर रोल जारी करने एवं मजदूरी भुगतान हेतु नरेगा सापट में डीपीआर फ्रीज करना आवश्यक नहीं होता है।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

(अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./ 9022/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2015 भोपाल, दिनांक 23/09/2015

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग।
3. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय।
5. राज्य समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन।
6. संचालक, ग्रामीण रोजगार।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
9. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त मंडल, मध्यप्रदेश।
10. श्री देवेन्द्र जोशी, संयुक्त आयुक्त, जन संपर्क विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
11. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।

प्रति,

- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन।

बी. एस. जाटव
संयुक्त आयुक्त

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned with OKEN Scanner